बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2019

- जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने 9 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, 2019 पेश किया।
- संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 उन जनजातियों और जनजाति समुदायों को विनिर्दिष्ट करता है जिन्हें अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। बिल आदेश के भाग VI में संशोधन करता है जिसमें कर्नाटक की जनजातियां विनिर्दिष्ट हैं।
- बिल आदेश में (i) 'नायकडा, नायक' के स्थान पर 'नायकडा, नायक (जिसमें परिवार और तलवार शामिल हैं)', और (ii)'सिद्दी (उत्तर कन्नड़ जिले में)' के स्थान पर 'सिद्दी (बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)' के प्रयोग से संबंधित संशोधन करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रोशनी सिन्हा
roshni@prsindia.org

23 जनवरी, 2019